

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

बनाम

राजाराम

बलवीर आदि

दावा बाबत :- 85 RACT

मुकदमा नम्बर :- 202/2021

निर्णय दिनांक :- 6-12-2021

वादी की ओर से वकील राजेश कुमार व प्रतिवादी सं० 1 का उ ओर से वकील मुन्नी राम जोषा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 6-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वेही जोषा काका के खता सं० 82/83 के खसरा सं० 120 की 3-9840 है, खसरा सं० 30 की 5-8800 है, खसरा सं० 611/120 की 2-0230 है, खसरा सं० 631/118 की 1-8970 है कुल 13-7840 है कारणे ह्ये मुनि के प्रतिवादी सं० बलवीर के नाम के खसरा राजस्थान रिकॉर्ड के पते से प्रतिवादी सं० बलवीर के वाजार वादी राजाराम व प्रतिवादी सं० बलवीर, प्रतिवादी सं० 2 नरसिंह के बहिस्ता बराबर के खतियार काष्ठकार चौधरी किसे जाते है मुनि प्रतिवादी सं० 3 ने अपना समूह एक बहिस्ता वादी व प्रतिवादी सं० 2 के पक्ष में लाया कर मुनि कर लिखा है उसपर लाया किसे गेप हिस्से पर पंजीयन किताब का येन पंजीयन मुक्त एवं स्वाम्य उभूत। अतः मुनि व यदि मुनि मुनि वंश के रखे तो रखमुक्त ह्ये के उपरान्त ह्ये राजस्थान रिकॉर्ड के अपलू वसाम किता जाय राजाराम का पत्नी का काजा पढ जाय।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
 (शिवि प्रसाद) P.A.S.  
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
 भादरा, जिला हनुमानगढ़  
 कैम्प  
 3021  
 40113